[2022] 13 एस. सी. आर. 1033

झारखंड राज्य

वी.

शैलेंद्र कुमार राय @पांडव राय

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1441)

31 अक्टूबर, 2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

हिमा कोहली, जे. जे.]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 32 (1)-मृत्यु घोषणा दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302,376,341 और 448-पीड़ित के साथ बलात्कार किया गया और आग लगा दी गई-प्रतिवादी को यू/एस. एस. दोषी ठहराया गया। 302 , 341 , 376,448 सत्र न्यायालय द्वारा पीड़ित की मृत्यु घोषणा के आधार पर, और

सजा-उच्च न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करने वाला निर्णय कि मृतक द्वारा दिया गया बयान मृत्यु घोषणा के रूप में स्वीकार्य नहीं है, प्रतिवादी को बरी कर दिया गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि मृत्यु का कारण पीड़ित को लगी जलने की चोटों के कारण होने वाला सेप्टीसीमिया है-पीड़ित का बयान एस में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। 32 (1) जैसा कि यह मृत्यु के कारण के साथ-साथ लेन-देन की परिस्थितियों दोनों से संबंधित है

जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई-उसके बयान में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि प्रतिवादी ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी-मृतक का बयान एस में शर्तों को संतुष्ट करता है। 32 (1) और यह अपने आप में एक प्रासंगिक तथ्य है-यह एक मृत्यु घोषणा है-अभियोजन ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया-उच्च न्यायालय के फैसले ने प्रतिवादी को दोषी ठहराने वाले सत्र न्यायालय के फैसले और उसे आजीवन कारावास की सजा देने के आदेश को दरकिनार कर दिया। s.302 और दंडनीय अपराध के लिए 10 साल के लिए कठोर कारावास s.376 बहाल किया गया है-वाक्य चलाने के लिए

समवर्ती-साक्ष्य अधिनियम, 1872-एस। 60 .

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 32 (1) मृत्यु घोषणा-पकड़ की स्वीकार्यता और संभाव्य मूल्यः चिकित्सा या अन्य साक्ष्य के माध्यम से मृत्यु घोषणा की पुष्टि को अनिवार्य करने वाला कोई नियम नहीं है, जब मृत्यु की घोषणा अन्यथा संदिग्ध नहीं है-इसके अलावा, हालांकि मृत्यु की घोषणा आदर्श रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की जानी चाहिए यदि संभव हो, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज मृत्यु की घोषणाएं हैं

केवल उसी कारण से अस्वीकार्य-यह मुद्दा कि क्या कोई मर रहा है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुलिस द्वारा दर्ज की गई घोषणा स्वीकार्य है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए-साथ ही, यह तथ्य कि मृत्यु की घोषणा प्रश्नों और उत्तरों के रूप में नहीं है, न तो इसकी स्वीकार्यता या इसके संभावित मूल्य को प्रभावित करता है-वर्तमान मामले में, मृत्यु की घोषणा पीड़ित के शब्दों में दर्ज की गई थी और उसे पढ़ी गई थी, जिसके बाद उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे-जब उसने बयान दिया तो पीड़ित मन की सक्षम स्थिति में थी-यह स्वेच्छा से किया गया था और सच है।

आपराधिक कानून-साक्ष्य-गवाह-पीड़ित के साथ बलात्कार किया गया और आग लगा दी गई-पीड़ित के परिवार के सदस्यों-मृतक और उसके जानने वाले अन्य व्यक्तियों को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया-यदि कोई हो तो उसका प्रभाव

अभियोजन पक्ष के मामले-गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने के लिए जिम्मेदार कारक-पर चर्चा की गई।

दंड संहिता, 1860 - s.375-दो अँगुलियों का परीक्षण-विरूपण

- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जारी किए गए निर्देशः कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए "टू-फिंगर टेस्ट" या प्रति योनि परीक्षा (कथित रूप से यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति की जांच करते समय) करता है, वह कदाचार आपराधिक कानून का दोषी होगा।

(संशोधन) अधिनियम 2013-साक्ष्य अधिनियम, 1872। 53 ए.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.मृतक का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 (1) के तहत प्रासंगिक है।

ए। पीड़िता की जलने से मौत हो गई

डॉ. आर महतो (पीडब्लू 8) द्वारा तैयार की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ित की मौत का कारण सेप्टीसीमिया था।

यह पीड़ित को लगी जलने की चोटों का परिणाम था। बचाव पक्ष ने इस निष्कर्ष की सच्चाई पर हमला करने की कोशिश की है। जिरह के दौरान उनसे पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉ. आर महतो ने कहा कि उन्हें स्पष्ट रूप से याद है कि मृतक का इलाज कर रहे डॉक्टर ने उन्हें बोकारो बर्न अस्पताल में रेफर कर दिया था। लेकिन, उन्हें इस अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया गया। जिस अनाम चिकित्सक ने कथित तौर पर मृतक को बोकारो बर्न अस्पताल भेजा था, उसे सत्र न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में गवाह के रूप में नामित नहीं किया गया था और उसे साक्ष्य में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया गया था। कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी की ओर से पेश होने वाले वकील

उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया कि यह तथ्य कि मृतक झारखंड राज्य बनाम था।

शैलेंद्र कुमार राय @पांडव राय

बोकारो बर्न अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया जाना एक हस्तक्षेप था

परिस्थिति. उन्होंने आग्रह किया कि परिणामस्वरूप, यह साबित नहीं हुआ कि मृतक की मृत्यु उसके जलने की चोटों के कारण हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित की मृत्यु हो सकती थी यदि अनाम चिकित्सक (उसे बोकारो बर्न अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए) द्वारा दी गई सलाह पर ध्यान दिया जाता है तो इसे रोक दिया जाता है। जैसा कि उच्च न्यायालय के फैसले पर खंड में उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय

मृत्यु का कारण स्थापित नहीं हो सका है। डॉ. आर. महतो की गवाही (केवल सीमित विस्तार के लिए कि वह राय के रूप में गवाही देना चाहते हैं) एक अन्य डॉक्टर जिसने कथित तौर पर मृतक को बोकारो बर्न अस्पताल भेजा था) धारा 60 को देखते हुए अस्वीकार्य है

उनकी मुख्य परीक्षा में गवाही के साथ-साथ प्रतिपरीक्षा के दौरान उनके अन्य उत्तरों को दूषित नहीं किया जाता है। उनकी गवाही उसकी अपनी राय और उन आधारों को संदर्भित करता है जिन पर वह इसे रखता है। पीड़ित की मृत्यु के कारण सहित उसकी गवाही का शेष हिस्सा निस्संदेह स्वीकार्य है। डॉ. आर. महतो

गवाही स्पष्ट है कि मृत्यु का कारण पीड़ित को लगी जलने की चोटों के कारण होने वाला सेप्टीसीमिया है। वर्तमान मामले में, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट यह स्थापित करती है कि पीड़ित की मृत्यु इसके परिणामस्वरूप हुई

उसके जलने की चोटों के कारण सेप्टीसीमिया। इसलिए, वर्तमान मामले में पीड़ित का बयान वास्तव में उसकी मृत्यु के कारण और उसके संबंध में एक प्रासंगिक बयान है

परिस्थितियाँ जो अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनीं। [पैरा 32 36] [1050-डी-जी; 1051-सी-डी; 1052-बी-डी, जी-एच]

मोती सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य; ए. आई. आर. 1964 एससी

900 [1964] एस. सी. आर. 688-लागू नहीं होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी। मृतक का बयान उसकी मृत्यु के कारण और लेन-देन की परिस्थितियों से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई

साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में प्रावधान है कि कुछ मामलों में ऐसे व्यक्तियों के बयान जिन्हें गवाह नहीं कहा जा सकता है

(और इसलिए प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में असमर्थ हैं) प्रासंगिक हैं। मृत्यु घोषणाएँ धारा 32 के उपखंड (1) के तहत प्रासंगिक बनाई गई हैं। वर्तमान मामले में, कथन धारा 32 के उपखंड (1) में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है क्योंकि यह मृत्यु के कारण के साथ-साथ लेनदेन की परिस्थितियों, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, दोनों से संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बयान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रतिवादी ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि मृत्यु का कारण मृतक को लगी जलने की चोटों के कारण होने वाला सेप्टीसीमिया है। मृतक के बयान से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी द्वारा उस पर मिट्टी का तेल डालने और उसे आग लगाने के परिणामस्वरूप वह जल गई थी। इसके अलावा, मृतक के बयान से पता चलता है कि प्रतिवादी ने बलात्कार किया

उसे आग लगाने से पहले-यह उस लेन-देन की परिस्थितियों का वर्णन है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मृतक का बयान धारा 32 (1) की शर्तों को पूरा करता है और अपने आप में एक प्रासंगिक तथ्य है। इसे निर्णय लेने के उद्देश्य से एक अंतिम घोषणा माना जाएगा।

अपील करें। [पैरा 37,39 और 40] [1053-बी; 1054-बी-ई]

सी। मरने वालों की स्वीकार्यता और संभावित मूल्य

घोषणा

इस प्रभाव का कोई नियम नहीं है कि मृत्यु घोषणा स्वीकार्य नहीं है जब इसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है।

मजिस्ट्रेट। यद्यपि एक मृत्यु घोषणा आदर्श रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की जानी चाहिए यदि संभव हो, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणाएँ केवल उसी कारण से अस्वीकार्य हैं। यह मुद्दा कि क्या पुलिस द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा स्वीकार्य है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद तय किया जाना चाहिए। अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से कहा कि डॉ. आर. के. पांडे ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि वह बगल के कमरे में एक अन्य मरीज की जांच कर रहे थे, जब पीड़ित की मृत्यु घोषणा झारखंड राज्य बनाम।

शैलेंद्र कुमार राय @पांडव राय

बगल की मेज (जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा गलती से कहा गया है, बगल के कमरे में नहीं)। उच्च न्यायालय ने गलती से इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कहा कि पीड़ित के बयान को उसकी मृत्यु घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता है। डॉ. आर. के. पांडे द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु घोषणा को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वे इस मामले में थे। एक अन्य कमरे में जब यह रिकॉर्ड किया गया था-वह स्पष्ट रूप से उसी कमरे में थे और उनकी उपस्थिति में लल्लन प्रसाद ने मृत्यु की घोषणा दर्ज की थी। लल्लन प्रसाद और डॉ. आर. के. पांडे दोनों ने अपनी जांच के दौरान इस तथ्य की पुष्टि की है। डॉ. आर. के. पांडे इस बात से भी संतुष्ट थे कि मृतक शारीरिक और

एक बयान देने के लिए मानसिक रूप से फिट, और लिखित रूप में प्रमाणित। मरने की घोषणा पीड़ित के शब्दों में दर्ज की गई थी और

उसे पढ़ा दिया, जिसके बाद उसने उस पर अपना हस्ताक्षर किया। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि बयान शिक्षण का परिणाम था या कि मृतक बयान देने में असमर्थ था। अभिलेख पर कुछ भी इस बात का संकेत नहीं देता है कि मृतक और प्रत्यर्थी के बीच कोई दुश्मनी थी, जो मृतक को घटनाओं का गलत विवरण देने और प्रत्यर्थी को गलत तरीके से फंसाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा, ललन प्रसाद को यह याद नहीं था कि मृतक को सामान्य वार्ड में भर्ती कराया गया था या आई. सी. यू. में। यह तथ्य मृत्यु घोषणा की प्रामाणिकता पर महाभियोग नहीं लगाता है क्योंकि डॉ. आर. के. पांडे ने गवाही दी है कि यह उनकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था। मृत्यु घोषणा स्वेच्छा से की गई थी और यह सच है। जब मृतक ने लल्लन प्रसाद को बयान दिया तो वह मानसिक रूप से सक्षम थी। [पैरा 41,45-48] [1054-एफ-जी; 1056-डी-जी; 1057-ए-सी]

खुशाल राव बनाम। बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22: [1958] एस. सी. आर. 552; राम बिहारी यादव बनाम। बिहार राज्य (1998) 4 एससीसी 517: [1998] 2 एस. सी. आर. 1097; सुरिंदर कुमार बनाम। पंजाब राज्य (2012) 12 एससीसी 120: [2012]

9 एससीआर 1019-पर निर्भर।

2.1 अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। मृत्यु घोषणा से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी ने मृतक के साथ बलात्कार किया, उस पर मिट्टी का तेल डाला, और [2022] 13 एस. सी. आर.

उसे आग लगा दो। मृत्यु का कारण सेप्टीसीमिया था, जो जलने की चोटों के परिणामस्वरूप हुआ था। इसलिए, पीड़ित की मृत्यु प्रत्यर्थी द्वारा उसे दी गई चोटों का प्रत्यक्ष परिणाम थी। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रतिवादी के अपराध के बारे में उचित संदेह को जन्म देता हो। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि मेडिकल बोर्ड को बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला है और इसलिए प्रतिवादी मृतक के साथ बलात्कार का दोषी नहीं है। मेडिकल बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि संभोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि इस संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। बलात्कार के बारे में चिकित्सा साक्ष्य की कमी का मतलब यह नहीं लिया जा सकता है कि मृतक पर कोई बलात्कार नहीं किया गया था। उसकी मृत्यु घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी ने उसे आग लगाने से पहले उसके साथ बलात्कार किया और चिकित्सा या अन्य साक्ष्य के माध्यम से मृत्यु घोषणा की पुष्टि करने का कोई नियम नहीं है, जब मृत्यु घोषणा अन्यथा संदिग्ध नहीं है। [पैरा 49 और 50] [1057-सी-एफ]

विष्णु वी. महाराष्ट्र राज्य (2006) 1 एस. सी. सी. 283: [2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 474; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव, (1985) 1 एससीसी 552: [1985] 2 एससीआर

621 - पर भरोसा किया।

2.2 पीडब्लू 1-5 और पीडब्लू 10 (मृतक के परिवार के सदस्य और उसके जानने वाले अन्य व्यक्ति होने के नाते) को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था।

किसी प्रियजन के बलात्कार और मृत्यु के आसपास की परिस्थितियाँ एक गहरी आघातकारी घटना हो सकती हैं, जो केवल आपराधिक न्याय प्रणाली की धीमी गति से जटिल होती है। यह कि मृतक के परिवार के सदस्यों सहित कुछ गवाहों को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था, अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने के लिए अपर्याप्त है। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था कि शत्रुतापूर्ण गवाह अपराध के चश्मदीद गवाह थे। बल्कि, इन गवाहों की गवाही मुख्य रूप से यह दिखाने के लिए प्रासंगिक थी कि मृतक ने लगातार कहा कि प्रतिवादी ने अलग-अलग व्यक्तियों से उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।

झारखंड राज्य बनाम। शैलेंद्र कुमार राय @पांडव राय

साक्ष्य की अनुपस्थिति जो एक समय की अवधि में मृत्यु घोषणा की स्थिरता को स्थापित करती है, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है। [पारस 53-55] [1058-D-E; 1059-D-F]

2.3 अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को तर्कसंगत से परे साबित कर दिया

सत्र न्यायालय के समक्ष संदेह। उच्च न्यायालय को सत्र न्यायालय के फैसले को पलटना नहीं चाहिए था। हालांकि यह न्यायालय सामान्य रूप से उच्च न्यायालयों द्वारा पारित बरी करने के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करता है, यह न्याय की विफलता को रोकने के लिए पूर्ण न्याय करने और बरी करने के आदेशों को उलटने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रतिवादी को अपराधों के लिए दोषी ठहराने वाले सत्र न्यायालय के फैसले को बहाल किया जाता है।

आई. पी. सी. की धारा 302,341,376 और 448 के तहत दंडनीय, साथ ही इसके आदेश में प्रतिवादी को कठोर दंड की सजा सुनाई गई है।

आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास और 10 साल के लिए कठोर कारावास

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध। इन वाक्यों को एक साथ चलाया जाना है। प्रतिवादी को लिया जाएगा सजा तुरंत काटने के लिए अभिरक्षा। [पैरा 59] [1060-ई-जी]

कर्नाटक राज्य बनाम। शरीफ (2003) 2 एससीसी 473: [2003]

1 एससीआर 572; भागीरथ बनाम। हरियाणा राज्य (1997) 1

एससीसी 481 1996 (9) जेटी 654; रमेश बनाम। की स्थिति हरियाणा, (2017) 1 एससीसी 529: [2016] 8 एससीआर 936; सतबीर

वी. सूरत सिंह (1997) 4 एससीसी 192 [1997] 2 एससीआर 1;

पंजाब राज्य बनाम। अजाइब सिंह (2005) 9 एस. सी. सी. 94: 2004

(1) पूरक। जे. टी. 69; लिल्लू बनाम. हरियाणा राज्य (2013) 14 एस. सी. सी. 643 पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

अप्रयोज्य रखा गया

[1964] एससीआर 688

पैरा 28 (डी)

[2003] 1 एससीआर 572

उस पर भरोसा करें

पैरा 41

[1958] एससीआर 552

उस पर भरोसा करें

पैरा 42

[1998] 2 एससीआर 1097

उस पर भरोसा करें

पैरा 43

[2012] 9 एससीआर 1019

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

[2005] 5 पूरक। एससीआर 474

उस पर भरोसा करें

पैरा 51

[2022] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1985] 2 एससीआर 621

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

[2016] 8 एससीआर 936

उस पर भरोसा करें

पैरा 53

[1997] 2 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 59

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

1441 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 27.01.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक अपील में रांची में झारखंड का (डी. बी.) 2006 का No.1533।

विष्णु शर्मा, सुश्री मधुष्मिता बोरा, पवन किशोर सिंह,

दीपांकर सिंह, सुश्री अनुपमा शर्मा, अभिषेक वर्मा, अधिवक्ता। के लिए अपीलार्थी।

ब्रज किशोर मिश्रा, बिक्रम, अभिषेक यादव, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सामग्री की तालिका *

ए.

पृष्ठभूमि.

... . 4

आई. गवाहों की गवाही का अवलोकन

अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच की गई।

..... 5

ललन प्रसाद, पीडब्लू 11.

..... 5

ए।

..... 7

बी।

डॉ. आर. के. पांडे, पीडब्लू 6.

... . 7

डॉ. मीनू मुखर्जी, पीडब्लू 9. ... .

सी।

डी। डॉ. आर महतो, पीडब्लू 8.

..... 9

सुरेश यादव, पीडब्लू 12.

. 9

ई.

एफ. रेखा दासगुप्ता, पीडब्लू 7.

..... 10

..... 10

जी। शत्रुतापूर्ण गवाह।

ii. गवाहों की गवाही का अवलोकन

बचाव पक्ष द्वारा जाँच की गई।

. 11

..... 11

धीरेंद्र राय, डीडब्ल्यू 1. ... .

ए।

बी।

..... 11

दशरथ तिवारी, डीडब्ल्यू 2. ... .

... . 11

बालमुकुंद राय, डी. डब्ल्यू. 3.

सी।

* एड। नोट-सामग्री की तालिका में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

iii. सत्र न्यायालय का निर्णय.. 12

iv. अपील पर उच्च न्यायालय का निर्णय. 14

B. मुद्दे।

..... 15

..... 16

प्रस्तुतियाँ।

सी. डी.

..... 17

विश्लेषण करें।

आई. मृतक का बयान निम्नानुसार प्रासंगिक है -

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 (1)। 17

जलने की चोटों के कारण पीड़ित की मौत हो गई

ए।

... . 17

उसे।

बी।

उसकी मृत्यु और लेन-देन की परिस्थितियाँ जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

..... 20

स्वीकार्यता और संभावित मूल्य

सी।

मरने की घोषणा।

..... 22

ii. अभियोजन पक्ष ने इसके खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है

प्रतिवादी उचित संदेह से परे है। 26

बिदाई टिप्पणी।

..... 30

ई.

1. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय के 27 जनवरी 2018 के फैसले से उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया प्रत्यर्थी द्वारा और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ. टी. सी.-II देवघर द्वारा क्रमशः 10 अक्टूबर 2006 और 11 अक्टूबर 2006 को पारित दोषसिद्धि के आदेश और इसके परिणामस्वरूप सजा को दरकिनार कर दिया गया। सत्र न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302,376,341 और 448 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

ए. पृष्ठभूमि

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि प्रतिवादी 7 नवंबर 2004 की दोपहर को नारंगी गांव में पीड़ित और मृतक के घर में घुस गया। आरोप है कि उसने उसे जमीन पर धकेल दिया और उसके साथ बलात्कार किया, जबकि धमकी दी कि अगर उसने आवाज़ दी तो वह उसे जान से मार देगा।

आई. पी. सी. "[2022] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अलार्म बजाएँ। उसने मदद के लिए पुकारा, जिस बिंदु पर प्रतिवादी कथित रूप से

उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे माचिस की छड़ी से आग लगा दी। मदद के लिए उसके रोने से उसके दादा, माँ और गाँव के एक निवासी उसके कमरे में आए। आरोप है कि प्रतिवादी उन्हें देखकर मौके से भाग गया था।

और उसे लगी चोटों का इलाज कराया। पीएस सरवाना के प्रभारी स्टेशन को घटना की जानकारी मिली और देवघर की यात्रा की, जहाँ उन्होंने पीड़ित की 'फरद बेयां' रिकॉर्ड की।

उसी दिन (यानी 7 नवंबर 2004)। अपने बयान में, उसने उपरोक्त पैराग्राफ 2 में वर्णित घटना का वर्णन किया।

4. 2004 की एफ. आई. आर. सं. 163 पीड़ित के बयान के आधार पर पी. एस. सरना में दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। लल्लन

प्रसाद आई. ओ. थे और बाद में सुरेश यादव ने जांच की जिम्मेदारी संभाली।

उससे। जाँच पूरी होने पर, आई. ओ. ने आई. पी. सी. की धारा 307,341,376 और 448 के तहत अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। 14 दिसंबर 2004 को पीड़ित की मृत्यु हो गई, जिसके कारण एक याचिका दायर की गई।

प्रत्यर्थी के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र, के संदर्भ में

आई. पी. सी. की धारा 303।

5. प्रतिवादी ने अपने अपराध से इनकार किया।

6. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में बारह गवाहों से पूछताछ की और बचाव पक्ष ने तीन गवाहों से पूछताछ की। अ.

मुख्य और प्रतिपरीक्षा में उनकी गवाही के साथ-साथ गवाह के रूप में उनकी स्थिति का अवलोकन इस प्रकार है।

गवाहों की गवाही का अवलोकन

आई.

अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच की गई

लल्लन प्रसाद, पीडब्लू 11

ए।

7. सरवाना थाना प्रभारी लल्लन प्रसाद ने बयान दिया कि उन्हें 7 तारीख को घटना की जानकारी मिली थी। नवंबर 2004 में उन्होंने देवघर की यात्रा की। उन्होंने उसी दिन सदर अस्पताल, देवघर में पीड़िता का बयान अपनी लिखावट में दर्ज किया और उसके बयान की सामग्री उसे पढ़कर सुनाई। वह।

उनकी उपस्थिति में घोषणा पर उनके हस्ताक्षर किए, और उन्होंने झारखंड राज्य बनाम पर हस्ताक्षर किए।

शैलेंद्र कुमार राय

@ पनडाव राय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पीड़ित के पिता और माता और सह-ग्रामीण ने घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए और डॉ. आर. के. पांडे ने प्रमाणित किया कि पीड़ित बयान देने के लिए योग्य है और बयान पर अपने हस्ताक्षर किए। ललन प्रसाद ने कहा कि जब डॉ. आर. के. पांडे ने मृतक का बयान दर्ज किया तो वह वहां मौजूद थे। 8. इसके बाद उन्होंने डॉ. आर. के. पांडे और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। एक वरिष्ठ नर्स, रेखा दासगुप्ता ने पीड़ित महिला के पति को पेश किया।

अंतर्वस्त्र; लल्लन प्रसाद ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उसी को दर्ज करते हुए एक जब्ती सूची तैयार की।

9. आई. ओ. ने कहा कि उसने अपराध स्थल की जांच की और बरामदे में जले हुए कपड़े, मिट्टी के तेल की एक खाली बोतल और धूल पाई, जहां अपराध हुआ था। उन्होंने देखा कि दीवार और फर्श पर जलने के निशान थे। उन्होंने जले हुए कपड़े और खाली बोतल को जब्त कर लिया और जब्ती की सूची तैयार की। उन्होंने कई अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए।

10. जिरह के दौरान उनसे पूछे गए प्रश्नों के जवाब में, ललन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने सीजेएम, देवघर से प्रतिवादी या मृतक के बयान दर्ज करने की मांग नहीं की थी। इसके अलावा, उन्होंने उस समय ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर या सिविल सर्जन से पीड़ित का बयान दर्ज करने का अनुरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद उनका बयान दर्ज किया क्योंकि उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा था।

11. उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि पीड़ित को गहन देखभाल इकाई में भर्ती कराया गया था या सामान्य वार्ड में, साथ ही साथ

एक ही वार्ड में रोगियों की संख्या। आई. ओ. ने गवाही दी कि उसे एक माचिस का डिब्बा, मिट्टी के तेल का दीपक, लालटेन या कोई अन्य सामग्री नहीं मिली जो अपराध स्थल पर आग लगा सकते हैं। उसने कहा कि उसने अपराध स्थल से जब्त की गई खाली बोतल को प्रयोगशाला में नहीं भेजा क्योंकि उसे जब्त करने के तुरंत बाद उसे स्थानांतरित कर दिया गया था।

बी। डॉ. आर. के. पांडे, पीडब्लू 6

उसकी जलती हुई चोटों का इलाज करने के लिए अस्पताल जाना। उन्होंने प्रमाणित किया कि मृतक बयान देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ था। डॉ. आर. के. पांडे मृतक के बगल की मेज पर एक मरीज की जांच कर रहे थे जब बाद में लल्लन प्रसाद को अपना बयान दिया।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. मीनू मुखर्जी, पीडब्लू 9

सी.

13. सदर अस्पताल की एक चिकित्सा अधिकारी डॉ. मीनू मुखर्जी ने कहा कि वह गठित चिकित्सा बोर्ड की सदस्य थीं। पीड़ित की जाँच करें जब वह अपनी चोटों के लिए इलाज करा रही थी। उन्होंने गवाही दी कि मेडिकल बोर्ड ने 7 को मृतक की जांच की।

नवंबर 2004 में उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालेः

मृतक अपने गुप्त क्षेत्र में जल गया था।

ए।

स्तन, और उसकी खोपड़ी का अगला क्षेत्र;

बी।

के जघन क्षेत्र में कोई विदेशी बाल नहीं पाए गए

मृत;

योनि स्मीयर के आधार पर एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट सामने आई

सी।

कि प्यूबिक में कोई शुक्राणु (जीवित या मृत) नहीं था

मृतक का क्षेत्र;

डी।

योनि परीक्षण से पता चला कि दो उंगलियाँ

आसानी से स्वीकार किया जाता है; और

मृतक के 14 ऊपरी और निचले दांत थे, जो थे

ई.

अधूरा है। प्यूबिक सिम्फिसिस 40 प्रतिशत था। उनकी कलाई की एक्स-रे से पता चला कि उनकी उम्र 17 साल से कम थी।

14. उनकी जांच और निष्कर्षों के आधार पर, मेडिकल बोर्ड की राय थी किः

मृतक की आयु लगभग 16 वर्ष थी; और

ए।

बी।

संभोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि इस संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकी।

मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों के साथ-साथ इसकी राय डॉ. मीनू मुखर्जी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में दर्ज की गई थी। मेडिकल बोर्ड के अन्य सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए।

15. क्रूस पर चढ़ने के दौरान उनसे पूछे गए प्रश्नों के जवाब में

परीक्षण में डॉ. मीनू मुखर्जी ने कहा कि संभोग के 72 घंटे बाद तक गतिशील शुक्राणु देखा जा सकता है और गैर-गतिशील शुक्राणु देखा जा सकता है। संभोग के कुछ दिनों बाद 7-10 तक। उसने आगे कहा कि मृतक कथित अपराध की तारीख से पहले संभोग में शामिल हो सकता है, और उसकी योनि में दो उंगलियों के प्रवेश का मतलब है कि वह संभोग की आदी थी। उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव का भी खंडन किया कि उन्होंने चिकित्सा रिपोर्ट तैयार की क्योंकि उच्च पदस्थ अधिकारियों ने उन पर ऐसा करने का दबाव डाला था।

झारखंड राज्य v. शैलेंद्र कुमार राय @पांडव राय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डी। डॉ. आर महतो, पीडब्लू 8

16. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आर महतो ने गवाही दी कि उन्होंने 14 दिसंबर 2004 को मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकालेः

शरीर में खरोंच के साथ कई घाव बिखरे हुए थे।

ए।

सिर, चेहरे और छाती पर। ये चोटें गहरी जलन के कारण हुई थीं और लगभग छह सप्ताह पुरानी थीं।

विभिन्न विच्छेदनों से पता चला कि खोपड़ी बरकरार थी,

बी।

मस्तिष्क का पदार्थ पीला पड़ गया था, फेफड़े पीले पड़ गए थे, हृदय के दाहिने कक्ष में रक्त था और बायां कक्ष खाली था, पेट और मूत्राशय खाली थे। यकृत, प्लीहा और गुर्दे भीड़भाड़ वाले थे।

17. अपने निष्कर्षों के आधार पर, डॉ. आर महतो ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित की मृत्यु सेप्टीसीमिया के कारण हुई थी, जो गहरे जलने का परिणाम था। पीड़ित को लगी चोटें। उन्होंने अपने निष्कर्षों और राय को दर्ज किया

एक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट।

18. क्रूस पर चढ़ने के दौरान उनसे पूछे गए प्रश्नों के जवाब में

जाँच, उन्होंने कहा कि जो लोग सेप्टीसीमिया से पीड़ित हैं वे कर सकते हैं

उनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन का अनुभव होता है, जिसके कारण वे किसी भी प्रश्न के पूछे जाने पर चिड़चिड़े और अनुत्तरदायी हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक का इलाज कर रहे डॉक्टर ने उसे बोकारो बर्न अस्पताल में रेफर कर दिया।

सुरेश यादव, पीडब्लू 12

ई.

19. पीएस सरवाना के एक पुलिस अधिकारी सुरेश यादव ने बयान दिया कि उन्होंने 18 को लल्लन प्रसाद से मामले की जांच अपने हाथ में ले ली।

नवंबर 2004। उन्होंने आईपीसी की धारा 307,341,376 और 448 के तहत अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जब उन्हें पता चला कि 14 दिसंबर 2004 को पीड़ित की मृत्यु हो गई, तो वह सदर अस्पताल गए और सीआरपीसी की धारा 174 के तहत एक जांच रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद, उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त की और आई. पी. सी. की धारा 302 के संदर्भ में प्रतिवादी के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

एफ. रेखा दासगुप्ता, पीडब्लू 7

20. सदर अस्पताल की नर्स रेखा दासगुप्ता लल्लन प्रसाद द्वारा तैयार की गई जब्ती सूची की गवाह थीं। मृतकों को पकड़ लिया गया।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शत्रुतापूर्ण गवाह

जी.

21. निम्नलिखित गवाहों ने शुरू में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया लेकिन बाद में उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गयाः

पार्वती देवी, पीडब्लू 1 (मृतक की माँ);

ए।

बी।

बिभूति बुशन रे, पीडब्लू 2 (मृतक के दादा);

मृत्युंजय रे, पीडब्लू 3;

सी. डी।

संजय कुमार, पीडब्लू 4; सुनील कुमार रॉय, पीडब्लू 5; और

ई.

बाल कृष्ण रे, पीडब्लू 10.

एफ.

ii.

गवाहों की गवाही का अवलोकन

बचाव पक्ष द्वारा जाँच की गई

धीरेंद्र राय, डीडब्ल्यू 1

ए।

22. नारंगी गाँव के निवासी धीरेंद्र राय ने पदच्युत किया कि

प्रत्यर्थी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था और काशी राय और प्रत्यर्थी के बीच कुछ भूमि की सिंचाई के संबंध में असहमति थी। उसने गवाही दी कि वह मृतक के घर में घुसा और देखा कि वह आग में जल रही थी, लेकिन उसने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया। उनके अनुसार, मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य उस समय मौजूद नहीं था।

23. क्रूस पर चढ़ने के दौरान उनसे पूछे गए प्रश्नों के जवाब में

जाँच में, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपराध की जाँच करने के लिए गाँव का दौरा करने वाले पुलिस कर्मियों को कोई बयान नहीं दिया था।

बी।

दशरथ तिवारी, डी. डब्ल्यू. 2

24. नारंगी गाँव के निवासी दशरथ तिवारी ने अपदस्थ किया कि उसने मृतक को जलने के बाद देखा था, और वह थी

बोलने की स्थिति में नहीं।

बालमुकुंद राय, डी. डब्ल्यू. 3

सी।

25. नारंगी गाँव के निवासी बालमुकुंद राय ने गवाही दी कि मृतक खाना पकाने के दौरान एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप जल गई थी।

iii. सत्र न्यायालय का निर्णय

26. 10 अक्टूबर 2006 के अपने निर्णय द्वारा, सत्र न्यायालय ने प्रतिवादी को धारा 303,341,376 और झारखंड राज्य बनाम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

शैलेंद्र कुमार राय @पांडव राय [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

48 आईपीसी। 11 अक्टूबर 2006 के अपने आदेश द्वारा, सत्र न्यायालय ने प्रतिवादी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास और आई. पी. सी. के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई।

0 आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए वर्ष। ये

प्रवेशों को समवर्ती रूप से चलाने का निर्देश दिया गया था। एक अलग वाक्य था

धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आवश्यक नहीं समझा जाता है

41 और आई. पी. सी. की धारा 448।

27. सत्र न्यायालय की दोषसिद्धि अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना के साथ-साथ निम्नलिखित में कानून की स्थिति पर आधारित थीः

एआरएमएसः

बचाव पक्ष का दावा है कि इस बारे में कोई प्रमाण पत्र नहीं था

ए।

मृत्यु घोषणा दर्ज करने के समय घोषितकर्ता/मृतक की मानसिक स्वास्थ्य को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि डॉ. आर. के. पांडे ने प्रमाणित किया था कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था।

बयान देने के लिए उपयुक्त;

बचाव पक्ष का तर्क कि परिवार के सदस्य

बी।

मृतक को शत्रुतापूर्ण गवाह घोषित किया जाना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक था क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था कि शत्रुतापूर्ण गवाह उस घटना के चश्मदीद गवाह थे जिसकी शिकायत की गई थी। इसके बजाय, शत्रुतापूर्ण गवाहों से पूछताछ करने की मांग की गई ताकि यह स्थापित किया जा सके कि मृतक ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे आग लगा दी। सत्र न्यायालय ने कहा कि शत्रुतापूर्ण गवाहों को रिश्वत के माध्यम से या उनके जीवन या संपत्ति को खतरे के कारण अभियुक्त के खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए राजी किया गया होगा। यह तथ्य अकेले नहीं होगा

अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित;

एक पुलिस अधिकारी द्वारा मृत्यु को रिकॉर्ड करने पर कोई रोक नहीं है।

सी।

घोषणा;

पीडब्लू 11 की गवाही कि डॉ. बी. के. पांडे ने प्रमाणित किया कि

डी।

डॉ. आर. के. पांडे (पीडब्लू 6) के बजाय मृतक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ था। इसलिए, बचाव पक्ष ने सुझाव दिया कि बी. के. पांडे नाम का एक डॉक्टर सदर अस्पताल में ड्यूटी पर था और उसने यह प्रमाणित करने से इनकार कर दिया कि मृतक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ था।

बयान खारिज कर दिया गया था; [2022] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. आर. के. पांडे की गवाही कि मृतक पीड़ा में था

ई.

इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती है कि वह पूरी तरह से नहीं थी

आई. ओ. को बयान देते समय सचेत;

डॉ. मीनू मुखर्जी की गवाही कि उन्हें बलात्कार का कोई संकेत नहीं मिला, इस सवाल का निर्णायक जवाब नहीं देती है कि क्या प्रतिवादी ने मृतक के साथ बलात्कार किया था। चिकित्सा अधिकारियों की राय तथ्य के गवाहों को बदनाम नहीं करेगी; और

आबन

तथ्य यह है कि बोतल अपराध स्थल से जब्त की गई

जी।

रासायनिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजे जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि प्रतिवादी ने मिट्टी का तेल नहीं डाला था मृतक।

सत्र न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु घोषणा थी

तंग, विश्वसनीय, और किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं थे। इसलिए यह कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था, प्रतिवादी को धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया।341 , 376 और मृत्यु घोषणा के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 448।

iv. अपील पर हाईकोर्ट का फैसला

28. प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। 27 जनवरी 2018 के अपने निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय का निर्णय निर्धारित किया और प्रतिवादी को निम्नलिखित कारणों से बरी कर दियाः

ए। मृतक के परिवार के सदस्यों को घोषित किया गया था

शत्रुतापूर्ण गवाह;

बी।

डॉ. आर. के. पांडे ने अपने परीक्षण में कहा कि

उनकी उपस्थिति में मृत्यु की घोषणा दर्ज की गई। हालांकि, उसने जिरह के दौरान खुद का खंडन किया, जहाँ उसने कहा कि वह एक कमरे में एक अन्य मरीज के साथ था

जिसके बगल में मृतक का इलाज चल रहा था। इसलिए, मृत्यु की घोषणा उनके लेख में दर्ज नहीं की गई थी

उपस्थिति;

क्रॉस के दौरान उनसे पूछे गए एक सवाल के जवाब में

सी।

जाँच में डॉ. आर महतो ने कहा कि पीड़ित के परिवार को सलाह मिली थी कि पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए बोकारो बर्न अस्पताल ले जाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया

ऐसा करें; झारखंड राज्य बनाम। शैलेंद्र कुमार राय @पांडव राय [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मृतक द्वारा दिया गया बयान स्वीकार्य नहीं है -

डी।

मोती सिंह बनाम में निर्णय के कारण मृत्यु घोषणा। राज्य

उत्तर प्रदेश का; 2 और

डॉ. मीनू मुखर्जी (पीडब्लू 9) को यौन संबंध का कोई संकेत नहीं मिला

ई.

जब उसने पीड़ित की जाँच की तो संभोग करें।

इन कारणों से, उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों को उचित से परे साबित करने में विफल रहा है। सन्देह हो रहा है। अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया और उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। इन कार्यवाही में 2 जनवरी 2019 को नोटिस जारी किया गया था।

B. मुद्दे

29. पक्षकारों की ओर से प्रचार की गई प्रस्तुतियों के आधार पर, निर्धारण के लिए दो प्रश्न उठते हैं:

क्या मृतक का बयान इसके तहत प्रासंगिक है

ए।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 (1) और

क्या अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित कर दिया है

बी।

प्रतिवादी उचित संदेह से परे है।

ग. प्रस्तुतियाँ

30. श्री विष्णु शर्मा ने अपीलार्थी की ओर से दलीलों का नेतृत्व किया। उनकी दलीलें इस प्रकार थीं:

उच्च न्यायालय ने सबूतों की सही ढंग से सराहना नहीं की है:

ए।

डॉ. आर. के. पांडे मृतक के बगल की मेज पर एक मरीज की देखभाल कर रहे थे, न कि उस कमरे में एक मरीज की, जिसमें मृतक मौजूद था।

और

मृतक का पोस्टमार्टम किया गया

बी।

मृत्यु के 12 घंटे के भीतर आयोजित किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि मौत का कारण सेप्टीसीमिया था जो उसके जलने की चोटों के कारण हुआ था।

31. अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई दलीलों का प्रतिवादी ने विरोध किया है, जिसके वकील श्री ब्रज किशोर मिश्रा हैं। निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

2 ए. आई. आर 1964 एस. सी. 900 3 "साक्ष्य अधिनियम" [2022] 13 एस. सी. आर.

यद्यपि मृत्यु घोषणा इंगित करती है कि प्रत्यर्थी

ए।

मृतक के साथ बलात्कार किया गया, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि इस संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। यह दिखाने के लिए मृत्यु घोषणा के अलावा कोई सबूत नहीं है कि
प्रतिवादी ने मृतक के साथ बलात्कार किया; और

घटना के लगभग एक महीने बाद पीड़ित की मृत्यु हो गई

बी।

घटना की शिकायत की। इसलिए मृतक द्वारा आई. ओ. को दिया गया बयान मृत्यु घोषणा नहीं है।

D. विश्लेषण

मृतक का बयान निम्नानुसार प्रासंगिक है -

आई.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 (1)

जलने की चोटों के कारण पीड़ित की मौत हो गई

ए।

उसे

32. डॉ. आर महतो (पीडब्लू 8) द्वारा तैयार की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ित की मौत का कारण सेप्टीसीमिया था, जो पीड़ित को लगी जलने की चोटों का परिणाम था। बचाव पक्ष ने इस निष्कर्ष की सच्चाई पर हमला करने की कोशिश की है।

मृतक का इलाज कर रहे थे और उसे बोकारो बर्न अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन, उन्हें इस अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया गया। जिस अनाम डॉक्टर ने कथित तौर पर मृतक को बोकारो बर्न अस्पताल भेजा था, उसका नाम नहीं लिया गया था। सत्र न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में गवाह और उसे साक्ष्य देने के लिए नहीं बुलाया गया था। में प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित वकील

बोकारो बर्न अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया जाना एक बीच की स्थिति थी। उन्होंने आग्रह किया कि परिणामस्वरूप, यह साबित नहीं हुआ कि मृतक की मृत्यु उसके जलने की चोटों के कारण हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि सलाह दी जाती तो पीड़ित की मृत्यु को रोका जा सकता था। अनाम चिकित्सक द्वारा (उसे बोकारो बर्न अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए) ध्यान दिया गया। जैसा कि उच्च न्यायालय के

फैसले पर खंड में उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार किया और कहा कि मृतक का बयान

इसे मृत्यु घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता था क्योंकि मृत्यु का कारण स्थापित नहीं किया गया था।

34. डॉ. आर महतो का बयान कि एक अन्य डॉक्टर ने संदर्भित किया

बोकारो बर्न अस्पताल के मृतक पर यह आग्रह करने के लिए भरोसा किया जाता है कि ऐसा झारखंड राज्य बनाम।

शैलेंद्र कुमार राय @ पनडाव राय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संदर्भ वास्तव में हुआ था, और इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। के लिए वकील

बचाव पक्ष यह स्थापित करने के लिए डॉ. आर महतो की गवाही पर भरोसा करना चाहता है किः

एक अनाम चिकित्सक ने मृतक की जाँच की;

ए।

बी।

बोकारो बर्न अस्पताल में इलाज किया जाए; इस डॉक्टर ने मृतक को बोकारो बर्न अस्पताल भेजा।

सी।

मृतक और उसके परिवार ने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया; और

डी।

पीड़ित की मौत को रोका जा सकता था अगर वह

ई.

सदर अस्पताल के बजाय बोकारो बर्न अस्पताल में इलाज किया गया।

डॉ. आर. महतो की गवाही (केवल सीमित विस्तार के लिए कि वह किसी अन्य डॉक्टर की राय के बारे में गवाही देना चाहते हैं, जिन्होंने कथित रूप से संदर्भित किया था।

मृतक को बोकारो बर्न अस्पताल) साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 को देखते हुए अस्वीकार्य है। धारा 60 में कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिएः

" मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। - मौखिक साक्ष्य, सभी मामलों में,

जो भी हो, सीधे रहें; इसका मतलब है

-

यदि यह किसी ऐसे तथ्य को संदर्भित करता है जिसे देखा जा सकता है, तो यह सबूत होना चाहिए

एक गवाह जो कहता है कि उसने इसे देखा है;

यदि यह किसी ऐसे तथ्य को संदर्भित करता है जिसे सुना जा सकता है, तो यह सबूत होना चाहिए

एक गवाह जो कहता है कि उसने इसे सुना है;

यदि यह किसी ऐसे तथ्य को संदर्भित करता है जिसे किसी अन्य अर्थ में या किसी अन्य तरीके से माना जा सकता है, तो यह एक गवाह का प्रमाण होना चाहिए जो

कहते हैं कि उन्होंने इसे उस अर्थ में या उस तरीके से महसूस किया;

यदि यह किसी राय या उन आधारों को संदर्भित करता है जिन पर वह

राय रखी जाती है, यह उस व्यक्ति का प्रमाण होना चाहिए जो उन आधारों पर उस राय को रखता है:

बशर्ते कि आम तौर पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए किसी भी ग्रंथ में व्यक्त की गई विशेषज्ञों की राय और जिन आधारों पर ऐसी राय रखी गई है, उन्हें ऐसे ग्रंथों को प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है यदि लेखक मर चुका है या पाया नहीं जा सकता है; या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या देरी या खर्च की राशि के बिना गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है जिसे अदालत अनुचित मानती है:

बशर्ते कि, यदि मौखिक साक्ष्य किसी दस्तावेज़ के अलावा किसी अन्य भौतिक चीज़ के अस्तित्व या स्थिति को संदर्भित करता है, तो न्यायालय [2022] 13 एस. सी. आर.

यदि वह उचित समझता है, तो ऐसी भौतिक वस्तु के उत्पादन की आवश्यकता हो सकती है उसके निरीक्षण के लिए "।

(जोर दिया गया)

35. यहाँ, तथ्य यह है कि एक अनाम डॉक्टर ने मृतक को संदर्भित किया

बोकारो बर्न अस्पताल को अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित करने की मांग की गई थी। मृतक के लिए इलाज के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनाम डॉक्टर की राय डॉ. आर महतो की प्रतिपरीक्षा के माध्यम से सामने लाने की मांग की गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में दिए गए निर्णय के कारण यह अस्वीकार्य है, जिसके संदर्भ में कोई भी मौखिक साक्ष्य जो किसी राय को संदर्भित करता है, उस व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए जो उस राय को रखता है। उनकी गवाही (इस बात पर सीमित बिंदु के रूप में कि क्या पीड़ित को किसी अन्य डॉक्टर द्वारा बोकारो बर्न अस्पताल में भेजा गया था) इसलिए अस्वीकार्य है और यह सुनी-सुनाई बात होगी। लेकिन मुख्य परीक्षा में उनकी गवाही के साथ-साथ प्रतिपरीक्षा के दौरान उनके अन्य उत्तरों को दूषित नहीं किया जाता है। उसकी गवाही उसकी अपनी राय और उन आधारों को संदर्भित करती है जिन पर वह इसे धारण करता है। उनकी गवाही का शेष भाग, जिसमें शामिल हैं

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़ित की मृत्यु का कारण स्वीकार्य है। डॉ. आर महतो की गवाही स्पष्ट है कि मृत्यु का कारण पीड़ित को लगी जलने की चोटों के कारण होने वाला सेप्टीसीमिया है।

36. उच्च न्यायालय ने मोती सिंह मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

(ऊपर) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि पीड़ित का बयान मृत्यु घोषणा के रूप में अस्वीकार्य था। उस मामले में आरोपी पर आरोप लगाया गया था कि उसने पीड़िता को गोली मार दी थी। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी चोटों का इलाज किया गया और उसके बाद छुट्टी दे दी गई। गोली लगने से घायल होने के कुछ सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम से पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत उनकी मृत्यु हो गई। मोती सिंह (ऊपर) पर उच्च न्यायालय की निर्भरता गलत है क्योंकि वर्तमान मामले में, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट यह स्थापित करती है कि पीड़ित की मृत्यु के रूप में हुई

उसके जलने की चोटों के कारण सेप्टीसीमिया का परिणाम। इसलिए,

वर्तमान मामले में पीड़ित का बयान वास्तव में उसकी मृत्यु के कारण और उन परिस्थितियों के संबंध में प्रासंगिक बयान है जिनके परिणामस्वरूप अंततः उसकी मृत्यु हुई, जैसा कि बाद के मामले में विस्तार से बताया गया है।

खंड।

झारखंड राज्य बनाम। शैलेंद्र कुमार राय एंडाव राय [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बी। मृतक का बयान कारण से संबंधित है

उसकी मृत्यु और लेन-देन की परिस्थितियाँ जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई

37. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में यह प्रावधान है कि कुछ मामलों में ऐसे व्यक्तियों द्वारा बयान दिए जाते हैं जिन्हें गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है (और

प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में असमर्थ) प्रासंगिक हैं। मरने की घोषणाएँ

धारा 32 के उपखंड (1) के तहत प्रासंगिकः

" ऐसे मामले जिनमें व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक तथ्य का बयान जो मर चुका है या पाया नहीं जा सकता है, आदि प्रासंगिक हैं। — एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों के लिखित या मौखिक बयान, जो मर चुका है, या जो नहीं मिल सकता है, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति देरी या खर्च की राशि के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अनुचित लगता है, स्वयं हैं।

निम्नलिखित मामलों में प्रासंगिक तथ्यः -

(1) जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो। — जब किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण के बारे में, या

लेन-देन की परिस्थितियों में से कोई भी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु में, उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति का कारण

मृत्यु प्रश्न में आती है।

इस तरह के बयान प्रासंगिक हैं, चाहे वह व्यक्ति जिसने उन्हें बनाया था, उस समय जब उन्हें बनाया गया था, मृत्यु की उम्मीद में था या नहीं, और उस कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो जिसमें उसकी मृत्यु का कारण सवाल में आता है।

(जोर दिया गया)

38. धारा 32 के संदर्भ में, कथन (लिखित या मौखिक)

अस्पष्ट तथ्य स्वयं प्रासंगिक तथ्य होते हैं जब वे लोगों के निम्न वर्गों द्वारा बनाए जाते हैंः

एक व्यक्ति जो मर चुका है;

ए।

एक व्यक्ति जिसे नहीं पाया जा सकता है;

बी।

एक व्यक्ति जो साक्ष्य देने में असमर्थ है; या

सी.

एक व्यक्ति जिसकी उपस्थिति के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है

डी।

विलम्ब या व्यय की राशि।

खंड (1) इंगित करता है कि ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति का कारण

मृत्यु सवाल में आती है, उस व्यक्ति द्वारा दिया गया एक बयान प्रासंगिक है जब यह संबंधित है:

मृत्यु का कारण; या

ए।

लेन-देन की परिस्थितियों में से कोई भी जिसके परिणामस्वरूप

बी।

मृत्यु में।

39. वर्तमान मामले में, कथन निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

धारा 32 के उपखंड (1) में नीचे दिया गया है क्योंकि यह मृत्यु के कारण के साथ-साथ लेनदेन की परिस्थितियों, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, दोनों से संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बयान में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि

प्रतिवादी ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि मृत्यु का कारण मृतक को लगी जलने की चोटों के कारण होने वाला सेप्टीसीमिया है। मृतक के बयान से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी द्वारा उस पर मिट्टी का तेल डालने और उसे आग लगाने के परिणामस्वरूप वह जल गई थी।

40. इसके अलावा, मृतक के बयान से पता चलता है कि

प्रतिवादी ने उसे आग लगाने से पहले उसके साथ बलात्कार किया-यह उस लेन-देन की परिस्थितियों का वर्णन है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। इसलिए मृतक का बयान धारा 32 (1) की शर्तों को पूरा करता है और यह अपने आप में एक प्रासंगिक तथ्य है। इस अपील पर निर्णय लेने के उद्देश्य से इसे एक अंतिम घोषणा माना जाएगा।

C. मरने वालों की स्वीकार्यता और संभावित मूल्य

घोषणा

41. इस प्रभाव का कोई नियम नहीं है कि एक मृत्यु घोषणा है

अस्वीकार्य जब यह एक के बजाय एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है

मजिस्ट्रेट। 4 यद्यपि एक मृत्यु घोषणा आदर्श रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की जानी चाहिए यदि संभव हो, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु घोषणाएँ

पुलिस कर्मियों द्वारा अभिलिखित केवल इसी कारण से अस्वीकार्य हैं। यह मुद्दा कि क्या पुलिस द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा स्वीकार्य है, प्रत्येक के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद तय किया जाना चाहिए। मामला।

42. खुशाल राव बनाम। बॉम्बे राज्य, 5 इस न्यायालय ने तैयार किया

वह पैमाना जिसके विरुद्ध मृत्यु घोषणाओं का मूल्यांकन किया जा सकता है: 4 कर्नाटक राज्य बनाम। शरीफ (2003) 2 एस. सी. सी. 473; भागीरथ बनाम। हरियाणा राज्य (1997) 1 एससीसी 481

5 ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22 ई. झारखंड राज्य बनाम। शैलेंद्र कुमार राय एंडाव राय [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 16. ..... (1) कि यह कानून के एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि एक मृत्यु घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकती है

जब तक इसकी पुष्टि नहीं की जाती है; (2) कि प्रत्येक मामले का निर्धारण उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के तथ्यों पर किया जाना चाहिए जिनमें मृत्यु की घोषणा की गई थी;

सबूत; (4) कि एक मृत्यु घोषणा साक्ष्य के एक अन्य टुकड़े के समान आधार पर खड़ी होती है और इसे आसपास की परिस्थितियों के आलोक में और शासन करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए

साक्ष्य का वजन;

(5) कि एक मृत्यु घोषणा जो एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उचित तरीके से, अर्थात प्रश्नों और उत्तरों के रूप में दर्ज की गई है, और जहाँ तक व्यवहार्य है, घोषणा के निर्माता के शब्दों में, एक मृत्यु घोषणा की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर है जो मौखिक गवाही पर निर्भर करती है जो मानव स्मृति और मानव चरित्र की सभी दुर्बलताओं से पीड़ित हो सकती है, और

(6) कि मृत्यु घोषणा की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए, अदालत को परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जैसे कि मरने वाले व्यक्ति को अवलोकन के लिए अवसर, उदाहरण के लिए, क्या पर्याप्त प्रकाश था यदि अपराध रात में किया गया था; क्या व्यक्ति की बताई गई तथ्यों को याद रखने की क्षमता, नहीं थी

जिस समय वह बयान दे रहा था, उस समय विकलांग

उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियाँ; कि बयान पूरे समय सुसंगत रहा है यदि उनके पास इसके आधिकारिक रिकॉर्ड के अलावा एक मृत्यु घोषणा करने के कई अवसर थे; और यह कि बयान जल्द से जल्द अवसर पर दिया गया था और नहीं था इच्छुक पक्षों द्वारा शिक्षण का परिणाम "।

43. तथ्य यह है कि मृत्यु घोषणा आयनों और उत्तरों के रूप में नहीं है, न तो इसकी स्वीकार्यता या इसके सक्रिय मूल्य को प्रभावित करता है, जैसा कि राम बिहारी यादव बनाम में माना गया है। बिहार राज्यः 6

" 9. ..... आम तौर पर, मृत्यु घोषणा को प्रश्नों और उत्तरों के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन यदि मृत्यु घोषणा है

विस्तृत नहीं है, लेकिन इसमें केवल कुछ वाक्य होते हैं और निर्माता के वास्तविक शब्दों में केवल यह तथ्य है कि यह प्रश्न उत्तर के रूप में नहीं है, इसकी स्वीकार्यता के खिलाफ आधार नहीं हो सकता है या विश्वसनीयता "।

44. वास्तव में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सुरिंदर कुमार बनाम में मान्यता प्राप्त है। पंजाब राज्य में मृत्यु दर दर्ज करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है।

प्रश्नों और उत्तरों के रूप में घोषणाएँ:

" 19. जहाँ तक हमारे सामने मामले का संबंध है, हम केवल यह नोट कर सकते हैं कि मृत्यु को रिकॉर्ड करने के लिए कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है।

घोषणा। वास्तव में, ऐसा कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह अनिवार्य नहीं है कि मृत्यु घोषणा प्रश्न-उत्तर प्रपत्र में दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे अवसर हो सकते हैं जब ऐसा करना संभव हो और अन्य जब मौजूदा स्थिति के कारण या उस समय पीड़ित को हो रही पीड़ा और पीड़ा के कारण ऐसा करना संभव न हो।

45. अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने गलत टिप्पणी की कि डॉ. आर. के. पांडे ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि वह दूसरे की जांच कर रहे थे

रोगी बगल के कमरे में जब पीड़ित की मृत्यु की घोषणा दर्ज की गई थी। जिरह के रिकॉर्ड से पता चलता है कि डॉ. आर. के. पांडे ने कहा कि वह बगल की मेज पर एक मरीज की जाँच कर रहे थे (न कि बगल के कमरे में जैसा कि उच्च न्यायालय ने गलती से कहा है)। उच्च न्यायालय ने गलती से इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कहा कि पीड़ित के बयान को उसकी मृत्यु घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता है। डॉ. आर. के. पांडे द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु घोषणा को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जब इसे दर्ज किया गया था तो वह दूसरे कमरे में थे-वह स्पष्ट रूप से उसी कमरे में थे और मृत्यु घोषणा ललन प्रसाद द्वारा उनकी उपस्थिति में दर्ज की गई थी। लल्लन प्रसाद और डॉ. आर. के. पांडे दोनों ने अपनी जांच के दौरान इस तथ्य की पुष्टि की है। 46. डॉ. आर. के. पांडे इस बात से भी संतुष्ट थे कि मृतक बयान देने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे और उन्होंने इसे लिखित रूप में प्रमाणित किया। मरने की घोषणा को पीड़ित के शब्दों में दर्ज किया गया और उसे पढ़ा गया, जिसके बाद उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि बयान शिक्षण का परिणाम था या कि मृतक बयान देने में असमर्थ था। अभिलेख पर कुछ भी इस बात का संकेत नहीं देता है कि मृतक और उसके बीच कोई दुश्मनी थी

7 (2012) 12 एस. सी. सी. 120 झारखंड राज्य बनाम। शैलेंद्र कुमार राय @पांडव राय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रत्यर्थी, जो मृतक को घटनाओं का असत्य विवरण सुनाने और प्रत्यर्थी को गलत तरीके से फंसाने के लिए प्रेरित करेगा।

47. इसके अलावा, ललन प्रसाद को यह याद नहीं था कि मृतक को सामान्य वार्ड में भर्ती कराया गया था या आई. सी. यू. में। यह तथ्य बताता है

48. इसलिए हम संतुष्ट हैं कि मृत्यु घोषणा स्वेच्छा से की गई थी और यह सच है। मृतक मानसिक रूप से सक्षम था। जब उन्होंने लल्लन प्रसाद को एक बयान दिया।

अभियोजन पक्ष ने इसके खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है

ii.

उचित संदेह से परे उत्तरदाता

49. मृत्यु घोषणा से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी ने मृतक के साथ बलात्कार किया, उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। मृत्यु का कारण सेप्टीसीमिया था, जो जलने की चोटों के परिणामस्वरूप हुआ था। इसलिए, पीड़ित की मृत्यु प्रत्यर्थी द्वारा उसे दी गई चोटों का प्रत्यक्ष परिणाम थी। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रतिवादी के अपराध के बारे में उचित संदेह को जन्म देता हो। 50. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि मेडिकल बोर्ड को बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला है और प्रत्यर्थी है

इसलिए मृतक के बलात्कार का दोषी नहीं है। मेडिकल बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि संभोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि इस संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। बलात्कार के बारे में चिकित्सा साक्ष्य की कमी का मतलब यह नहीं लिया जा सकता है कि मृतक पर कोई बलात्कार नहीं किया गया था। उसकी मृत्यु घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी ने पहले उसके साथ बलात्कार किया था

उसे आग लगा देना और चिकित्सा या अन्य साक्ष्य के माध्यम से मृत्यु की घोषणा की पुष्टि करने के लिए कोई नियम अनिवार्य नहीं है, जब मृत्यु की घोषणा अन्यथा संदिग्ध नहीं है। 51. विष्णु वी. महाराष्ट्र राज्य, 8 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी भी रोग के अस्तित्व के बारे में एक चिकित्सा विशेषज्ञ की राय निर्णायक नहीं है।

तथ्यः

" चिकित्सा अधिकारी की राय अदालत की सहायता करना है क्योंकि वह तथ्य का गवाह नहीं है और चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया साक्ष्य वास्तव में एक सलाहकार चरित्र का है और गवाह के लिए बाध्यकारी नहीं है। वास्तव में
"।

8 3 (2006) 1 एससीसी 283 [2022] 13 एस. सी. आर.

52. उत्तर प्रदेश राज्य में v. राम सागर यादव ने कहा, 'इस अदालत ने कहा कि न तो कानून का शासन है और न ही विवेक का नियम है।

घोषणा पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जातीः

" 13. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि, कानून के मामले के रूप में, एक मृत्यु घोषणा

बिना पुष्टि के कार्रवाई की जा सकती है। (खुशाल को देखें।

राव वी. बॉम्बे राज्य [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22: 1958 एससीआर 552: 1938 क्रि एल. जे. 106]; हरबंस सिंह बनाम। पंजाब राज्य [ए. आई. आर 1962 एस. सी. 439: 1962 पूरक (1) एस. सी. आर. 104: (1962) 1 क्रि एल. जे. 479]; गोपाल सिंह बनाम। एम. पी. राज्य [(1972) 3 एस. सी. सी. 268: 1972 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 513: 1972 सी. आर. आई. एल. जे. 1045]) विवेक का ऐसा कोई नियम भी नहीं है जिसमें

कानून के एक नियम में कठोर किया गया है कि एक मृत्यु घोषणा पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। का प्राथमिक प्रयास अदालत को यह पता लगाना होगा कि मृत्यु घोषणा सच है या नहीं। यदि ऐसा है, तो पुष्टि का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह केवल तभी है जब

मृत्यु घोषणा के आसपास की परिस्थितियाँ स्पष्ट या आश्वस्त नहीं हैं कि अदालत, अपने आश्वासन के लिए, देख सकती है

मृत्यु घोषणा की पुष्टि "।

53. पीडब्लू 1-5 और पीडब्लू 10 (मृतक के परिवार के सदस्य और उसके परिचित अन्य व्यक्ति होने के कारण) को सत्र न्यायालय में कार्यवाही के दौरान शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था। गवाहों के लिए यह आम है कि

पीड़ित की मृत्यु के बाद (या उससे पहले भी) विभिन्न कारणों से शत्रुतापूर्ण हो जाता है। रमेश बनाम। हरियाणा राज्य, 0 इस न्यायालय ने गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने के लिए जिम्मेदार कुछ कारकों पर ध्यान दियाः

" 44. विभिन्न मामलों के विश्लेषण पर, निम्नलिखित कारणों का पता लगाया जा सकता है जो गवाहों को अदालत के समक्ष अपने बयान वापस लेने और शत्रुतापूर्ण होने के लिए प्रेरित करते हैंः

((i) धमकी/धमकी।

((ii) विभिन्न माध्यमों से प्रलोभन। ((iii) अभियुक्त द्वारा बाहुबल और धनबल का उपयोग।

((iv) स्टॉक गवाहों का उपयोग।

(v) लंबे समय तक चलने वाले परीक्षण।

(vi) जाँच और मुक़दमे के दौरान गवाहों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

9 (1985) 1 एससीसी 552 10 (2017) 1 एससीसी 529 झारखंड राज्य बनाम।

(vii) शत्रुता को रोकने के लिए किसी भी स्पष्ट कानून का अस्तित्व न होना। गवाहों से।

48. उपरोक्त के अलावा, गवाहों के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण

शत्रुतापूर्ण होना वह हो सकता है जिसे "की संस्कृति" के रूप में वर्णित किया गया है।

समझौता "। बलात्कार के मुकदमों में ऐसी संस्कृति पर टिप्पणी करते हुए, प्रतीक्षा बख्शी ["न्याय एक रहस्य हैः बलात्कार मुकदमों में समझौता (2010) 44, अंक 3, भारतीय समाजशास्त्र में योगदान, पीपी। 207 233.] इस समस्या को निम्नलिखित तरीके से उजागर किया गया हैः

" ..... समझौते की सामाजिक-कानूनी श्रेणी का सामान्यीकरण कार्य आतंक को एक ऐसे संदर्भ में सौदे में बदल देता है जहां कोई गवाह सुरक्षा कार्यक्रम नहीं है। यह अक्सर इस बात का कारण बनता है कि यदि पीड़ित जीने की इच्छा नहीं खोता है, तो मामला सुनवाई पर आने तक अभियोजन पक्ष के गवाह नियमित रूप से शत्रुतापूर्ण क्यों हो जाते हैं।

9999

54. इन कारकों के अलावा, मृतक पीड़ित को जानने वाले गवाह शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं क्योंकि वे अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।

किसी प्रियजन के बलात्कार और मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों के बारे में गवाही देना एक गहरी दर्दनाक घटना हो सकती है, जो केवल आपराधिक न्याय प्रणाली की धीमी गति से और बढ़ जाती है।

55. यह कि मृतक के परिवार के सदस्यों सहित कुछ गवाहों को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था, इस पर संदेह करने के लिए अपर्याप्त है

अभियोजन पक्ष का मामला। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था कि शत्रु

गवाह अपराध के चश्मदीद गवाह थे। बल्कि, ये गवाहों की गवाही मुख्य रूप से यह दिखाने के लिए प्रासंगिक थी कि मृतक ने लगातार कहा कि प्रतिवादी ने अलग-अलग व्यक्तियों से उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य की अनुपस्थिति जो एक समय की अवधि में मृत्यु घोषणा की स्थिरता को स्थापित करती है, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मृत्यु घोषणा को पीड़ित के शब्दों में दर्ज किया गया था और उसे पढ़ा गया था, जिसके बाद उसने उस पर अपना हस्ताक्षर किया।

56. धीरेंद्र राय (डी. डब्ल्यू. 1) ने गवाही दी कि प्रतिवादी के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उनकी राय के लिए एक ठोस कारण प्रदान करने में विफल रहे। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि भूमि की सिंचाई के संबंध में एक छोटी सी असहमति मृतक को बलात्कार के झूठे आरोप लगाने के लिए प्रेरित करेगी। प्रत्यर्थी के खिलाफ या उसके द्वारा उसे आग लगाने के बारे में झूठ बोलना, विशेष रूप से जब वह भूमि की सिंचाई के बारे में कथित असहमति का पक्ष नहीं थी।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

57. दशरथ तिवारी (डी. डब्ल्यू. 2) ने अपदस्थ किया कि मृतक जलने के बाद बोलने में असमर्थ था। यह स्पष्ट रूप से गलत है जैसा कि द्वारा स्थापित किया गया है

लल्लन प्रसाद और डॉ. आर. के. पांडे दोनों की गवाही। डॉ. आर. के. पांडे ने प्रमाणित किया कि मृतक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थी, और लल्लन प्रसाद द्वारा उसका बयान दर्ज किए जाने के दौरान मौजूद थी। डॉ. आर. के

पांडे को प्रतिवादी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी, और न ही बचाव पक्ष ने सुझाव दिया है कि उसने ऐसा किया था। उसके पास पीड़ित के स्वास्थ्य के बारे में झूठी गवाही देने या उसके बयान दर्ज किए जाने के समय फिटनेस का गलत प्रमाण पत्र देने का कोई कारण नहीं था।

58. बालमुकुंद राय (डी. डब्ल्यू. 3) ने गवाही दी कि मृतक खाना पकाने के दौरान घायल हो गया था। हम इसे पूरी तरह से अविश्वसनीय पाते हैं। कुछ भी सामने नहीं आता है। अभिलेख से जो बताता है कि मृतक के पास प्रतिवादी को शामिल करने वाली कहानी गढ़ने का कोई कारण था। इसके अलावा, कुछ भी नहीं बताता है कि बालमुकुंद राय पीड़ित के घर में मौजूद थे जब कथित दुर्घटना हुई थी। यदि उन्होंने दुर्घटना देखी थी, तो यह सवाल उठता है कि जब धीरेंद्र राय कथित तौर पर पीड़ित के घर में घुसे तो वे कहाँ गए थे। बालमुकुंद राय की गवाही की तुलना में मृत्यु घोषणा का अधिक संभावित मूल्य है और हम पूर्व में वर्णित घटनाओं के संस्करण को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।

59. इन कारणों से, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने सत्र न्यायालय के समक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित किया। उच्च न्यायालय को पहले चर्चा किए गए कारणों के लिए सत्र न्यायालय के फैसले को पलट नहीं देना चाहिए था। जबकि यह न्यायालय सामान्य रूप से नहीं करता है

उच्च न्यायालयों द्वारा पारित बरी करने के आदेशों में हस्तक्षेप करना, यह पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और बरी करने के आदेशों को उलट सकता है। न्याय की विफलता "। 1 इसलिए हम उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हैं

दिनांक 27 जनवरी 2018 और 10 अक्टूबर 2006 के सत्र न्यायालय के फैसले को बहाल करें जिसमें प्रतिवादी को आई. पी. सी. की धारा 302,341,376 और 448 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, साथ ही 11 अक्टूबर 2006 के अपने आदेश में प्रतिवादी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 10 साल के कठोर कारावास। इन वाक्यों को एक साथ चलाया जाना है। प्रतिवादी को तुरंत सजा काटने के लिए हिरासत में लिया जाएगा।

" सतबीर बनाम. सूरत सिंह (1997) 4 एस. सी. सी. 192; पंजाब राज्य बनाम अजैब सिंह (2005) 9 एस. सी. सी. 94 झारखंड राज्य बनाम।

शैलेंद्र कुमार राय @पांडव राय [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ई. विभाजन टिप्पणी

60. पीड़ित की जाँच करते समय, मेडिकल बोर्ड ने यह निर्धारित करने के लिए "टू-फिंगर टेस्ट" किया कि क्या वह यौन संभोग की आदी थी। इस न्यायालय ने बार-बार बलात्कार और बलात्कार का आरोप लगाने वाले मामलों में इस प्रतिगामी और आक्रामक परीक्षण के उपयोग की निंदा की है।

यौन उत्पीड़न। इस तथाकथित परीक्षण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और न तो बलात्कार के आरोपों को साबित करता है और न ही गलत साबित करता है। इसके बजाय यह फिर से पीड़ित करता है और फिर से

उन महिलाओं को आघात पहुँचाता है जिनका यौन उत्पीड़न किया गया हो सकता है, और एक उनकी गरिमा का अपमान करना। "टू-फिंगर टेस्ट" या प्री वैजिनम टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए।

61. लिल्लू वी. हरियाणा राज्य, 1 2 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "दो उंगलियों का परीक्षण" गोपनीयता, अखंडता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है:

" 13. ..... बलात्कार पीड़ितों को कानूनी सहायता का अधिकार है जो उन्हें फिर से आघात न दे या उनकी शारीरिक या मानसिक अखंडता और गरिमा का उल्लंघन न करे। वे इस तरह से संचालित चिकित्सा प्रक्रियाओं के भी हकदार हैं जो उनकी सहमति के अधिकार का सम्मान करते हैं। चिकित्सकीय प्रक्रियाओं को इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जो क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का गठन करता है और लिंग आधारित हिंसा से निपटने के दौरान स्वास्थ्य पर सर्वोपरि विचार किया जाना चाहिए। यौन हिंसा से बचे लोगों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए और कोई मनमाना या गैरकानूनी नहीं होना चाहिए।

उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप।
14. इस प्रकार, उपरोक्त को देखते हुए, निस्संदेह, दो-उंगलियों का परीक्षण और इसकी व्याख्या बलात्कार पीड़ितों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

शारीरिक और मानसिक अखंडता और गरिमा "।

62. चाहे कोई महिला "यौन संभोग की आदी है" या "यौन संभोग की आदी है" इन उद्देश्यों के लिए अप्रासंगिक है -

यह निर्धारित करना कि क्या आई. पी. सी. की धारा 375 के तत्व किसी विशेष मामले में मौजूद हैं। तथाकथित परीक्षण इस गलत धारणा पर आधारित है कि यौन रूप से सक्रिय महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है। सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है-एक महिला का यौन इतिहास यह तय करते समय पूरी तरह से महत्वहीन है कि क्या आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया है। इसके अलावा, एक महिला की गवाही का संभावित मूल्य उसके यौन इतिहास पर निर्भर नहीं करता है।

यह सुझाव देना पितृसत्तात्मक और लैंगिकवादी है कि एक महिला पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जब वह कहती है कि उसके साथ बलात्कार किया गया था, केवल इस कारण से कि वह यौन रूप से सक्रिय है।

63. विधायिका ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जब उसने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 लागू किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संशोधन किया गया। धारा 53 क सम्मिलित करबाक लेल साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 ए के संदर्भ में, किसी पीड़ित के चरित्र या किसी व्यक्ति के साथ उसके पिछले यौन अनुभव का साक्ष्य यौन अपराधों के अभियोजन में सहमति या सहमति की गुणवत्ता के मुद्दे के लिए प्रासंगिक नहीं होगा।

64. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यौन हिंसा के मामलों में स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 1 3 ये दिशानिर्देश

"दो-उंगली परीक्षण" के अनुप्रयोग पर प्रतिबंध लगाएँः

'टू-फिंगर टेस्ट' के रूप में, बलात्कार/यौन हिंसा स्थापित करने के लिए आयोजित नहीं किया जाना चाहिए और योनि इंट्रोइटस के आकार का कोई असर नहीं है यौन हिंसा के मामले में। प्रति योनि परीक्षा केवल वयस्क महिलाओं में की जा सकती है जब चिकित्सकीय रूप से संकेत दिया जाता है।

हाइमेन की स्थिति अप्रासंगिक है क्योंकि हाइमेन को साइकिल चलाने, सवारी करने या हस्तमैथुन जैसे कई कारणों से फाड़ा जा सकता है। एक अक्षत हाइमेन यौन हिंसा से इंकार नहीं करता है, और एक टूटा हुआ हाइमेन पिछले यौन संभोग को साबित नहीं करता है। इसलिए यौन हिंसा के मामलों में परीक्षा के निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करते समय हाइमेन को जननांगों के किसी भी अन्य हिस्से की तरह माना जाना चाहिए। केवल वे जो हमले की घटना के लिए प्रासंगिक हैं (निष्कर्ष जैसे ताजा आँसू, रक्तस्राव, शोफ आदि)

प्रलेखित किया जाए "।

65. हालाँकि इस मामले में "दो-उंगलियों का परीक्षण" एक दशक पहले किया गया था, लेकिन यह एक खेदजनक तथ्य है कि यह अभी भी किया जा रहा है आज भी।

66. हम केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य को भी निर्देश देते हैं

सरकारों के लिएः ए। यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देश सभी सरकारों को वितरित किए जाएं।

और निजी अस्पताल;

13 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, "मेडिको-यौन हिंसा से बचे लोगों/पीड़ितों के लिए कानूनी देखभाल" (19 मार्च 2014)

झारखंड राज्य v. शैलेंद्र कुमार राय @पांडव राय [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बी।

संवाद करने के लिए स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित करें

जाँच करते समय अपनाई जाने वाली उपयुक्त प्रक्रिया

यौन उत्पीड़न और बलात्कार से बचे लोग; और

चिकित्सा विद्यालयों में पाठ्यक्रम की समीक्षा करें

सी.

यह सुनिश्चित करना कि "दो-उंगली परीक्षण" या प्रति योनि परीक्षा यौन हमले से बचे लोगों की जांच करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक के रूप में निर्धारित नहीं है और बलात्कार।

सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार इस फैसले की प्रतियां प्रधान सचिव को भेजेगी। (सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग) प्रत्येक राज्य का। प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य विभागों के प्रधान सचिव भी इसके भाग ई में जारी निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

निर्णय। प्रत्येक राज्य के गृह विभागों के सचिव इस संबंध में पुलिस महानिदेशकों को निर्देश भी जारी करेंगे। पुलिस महानिदेशक, बदले में, इन निर्देशों को पुलिस अधीक्षकों को सूचित करेंगे।

68. कोई भी व्यक्ति जो "टू-फिंगर टेस्ट" या प्रति योनि परीक्षा आयोजित करता है (किसी व्यक्ति की जांच करते समय जो कथित रूप से अधीन किया गया है)

यौन हमले के लिए) इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने पर दुराचार का दोषी होगा।

69. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

70. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)